

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 1981/अग्रहायण 6, 1903
No. 384] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 27, 1981/AGRAHAYANA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह सलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1981

सं० 255/81-सीमा शुल्क

सं. 619(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं० 232-सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979 से विस्तारित
और संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में

“30 नवम्बर, 1981” शब्द और तब के स्थान पर “30 नवम्बर 1982” शब्द का
शब्द रखे जायेंगे।

[फाइल नं० 355/140/81-सीमा शुल्क II]

के० चन्द्रमौली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1981

NO. 255[81-CUSTOMS

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 232-Customs dated the 5th December, 1979, namely :—

In the said notification, in the second paragraph, for the figures letters and word “30th November, 1981” the figures, letters and word “30th November, 1982” shall be substituted.

[F. No. 355/140/81-Cus. II]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.